नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में औपबंधिक नामांकन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. नेतरहाट प्रवेश परीक्षा, सत्र 2023-24 के परीक्षाफल एवं तदुपरान्त हुए शारीरिक जाँच में सफल घोषित होने के आधार पर जिन छात्रों का चयन नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में औपबंधिक नामांकन हेतु हुआ है, उनके नामांकन हेतु स्थल, तिथि एवं समय निम्नवत हैं :-

नामांकन स्थल	**अ.श.ठा.वि.शा. जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (जिला स्कूल), शहीद चौक, राँची**
नामांकन की तिथि एवं समय	**07-06-2024 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 08:00 से पूर्वाह्न 11:00 तक**

कृपया अपने पुत्र/प्रतिपाल्य को लेकर नामांकन हेतु उपरोक्त निर्धारित स्थल, तिथि एवं समय में उपस्थित हों ताकि छात्रों का ससमय नामांकन लिया जा सके। चूंकि नामांकन के पश्चात छात्र विद्यालय चले जायेंगे एवं उनकी विद्यालय दिनचर्या प्रारंभ हो जाएगी; अतः इस हेतु कृपया पूर्ण तैयारी के साथ आयें। **निर्धारित तिथि व समय पर नामांकन हेतु नहीं पहुँचने की स्थिति में आपकी दावेदारी स्वत: निरस्त समझी जाएगी तथा प्रतीक्षा सूची से श्रेणी/कोटि के मेधाक्रमानुसार अगले अभ्यर्थियों को नामांकन हेतु मौका दे दिया जायेगा।**

2. नामांकन हेतु अपने पुत्र/प्रतिपाल्य एवं निम्न अनिवार्य प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थल पर ससमय उपस्थित हों:-

क्रम संख्या	**प्रमाणपत्र/ दस्तावेज**
1	**प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय** भुगतेय शाखा **लोहरदगा, शाखा कोड संख्या-03534** के नाम भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत रू.10,000/-(रू. दस हज़ार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट
2	अनुमंडल पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
3	अनुमंडल पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ EWS प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित श्रेणी के हों)
4	जन्म एवं मृत्यु पंजीयन 1969 के तहत जन्म मृत्यु निबंधक कार्यालय/नगर निगम/पंचायत द्वारा प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र
5	सत्र 2022-23 या उसके पूर्व पांचवीं कक्षा उत्तीर्णता का प्रमाणपत्र
6	विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की मूल प्रति **(DEO/ DSE/ BEO द्वारा सत्यापित)**
7	नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2023-24 का प्रवेश पत्र
8	माता- पिता एवं अभ्यर्थी का आधार कार्ड
9	प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी/ नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र की मूल प्रति (दिए गए प्रारूप में जो विद्यालय के वेबसाइट में उपलब्ध)
10	नामांकन हेतु छात्र द्वारा भरा गया आवेदन पत्र (दिए गए प्रारूप में जो विद्यालय के वेबसाइट में उपलब्ध)
11	अभिभावक द्वारा भरा गया छात्र का व्यक्तिगत विवरण, **दो प्रतियों में** (दिए गए प्रारूप में जो विद्यालय के वेबसाइट में उपलब्ध)
12	विद्यालय द्वारा भेजा गया शारीरिक जाँच में उपस्थित होने सम्बन्धी पत्र की मूल प्रति
13	छात्र का हाल का खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो – 06 प्रति
14	माता-पिता एवं अभ्यर्थी का सामूहिक फोटोग्राफ
15	अभ्यर्थी के नाम बैंक खाता का पासबुक
16	**उपरोक्त समस्त प्रमाणपत्रों की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति का एक सेट**

3. विद्यालय प्रशासन आपके द्वारा उपस्थापित प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी स्तर पर झारखण्ड सरकार के नियमानुसार कराने हेतु स्वतंत्र है। औपबंधिक नामांकन के पश्चात भी किसी भी स्तर पर यदि आपके द्वारा उपस्थापित प्रमाण पत्र / दस्तावेज गलत पाया जाता है तो विद्यालय प्रशासन द्वारा आपके प्रतिपाल्य का नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा; जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

4. आपको विदित हो कि यह विद्यालय आवासीय है तथा छात्रों को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत रहकर अध्ययन करना है। उन्हें आश्रम का समस्त कार्य स्वयं करना है तथा निर्धारित गणवेश में शैक्षणिक एवं खेल कूद गतिविधियों में अनिवार्यत: शामिल होना है। विद्यालय में छात्रों के चतुर्दिक विकास हेतु विभिन्न क्रिया-कलापों यथा रंगमंच, वन भ्रमण, एन. सी. सी., स्कॉउट, विज्ञान परिषद, अंत्याक्षरी, एथलेटिक्स, कृषि, काष्ठकला, धातुकला इत्यादि की व्यवस्था है।

5. **<u>जमा किया जाने वाला शुल्क:- कुल राशि रूपये 10,000/-(जिसका समायोजन शिक्षण शुल्क एवं वस्त्रादि शुल्क हेतु बाद में किया जाएगा), यह राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत तथा इसी बैंक की लोहरदगा शाखा कोड संख्या-03534 पर भुगतेय जो प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ली जाएगी। किसी भी स्थिति में नगद राशि जमा नहीं ली जाएगी। छात्र के द्वारा समय-समय पर निर्गत सामग्रियों के भुगतान हेतु नियमानुसार विपत्र दिया जायेगा।</u>**

6. नामांकन के पश्चात अपने व्यक्तिगत खर्च हेतु छात्र अपने साथ 500/- रूपये नगद लायेंगे जो नेतरहाट पहुँचने पर अपने-अपने आश्रमाध्यक्ष के पास जमा कर देंगे। अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु छात्र आवश्यक सामग्री अपने साथ लायेंगे- 1. जूता-ब्रश एवं पॉलिश (काला) 2. टॉर्च एवं इमरजेंसी लाइट 3. लेखन सामग्री 4. आवश्यकतानुसार तेल, साबुन, कंघी, टूथब्रश, टूथपेस्ट, वैसलीन, सूई-धागा इत्यादि 5. यदि चश्मा पहनते हों तो चश्मा तथा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। **निर्देशित सामग्रियों के अतिरिक्त छात्र को कोई भी अवांछित सामग्री न दें।**

7. **<u>निष्कासन</u> :-** अनुशासनहीनता की स्थिति में छात्र को विद्यालय से बगैर पूर्व सूचना के तत्काल निष्कासित किया जा सकता है तथा विद्यालय कर्मी के साथ घर भेजा जा सकता है। यदि प्राचार्य संतुष्ट हैं कि छात्र का व्यवहार, भद्रता एवं शालीनता की परिधि से बाहर है तो वे तत्काल ही निष्कासन का आदेश दे सकते हैं। संतोषप्रद अनुशासन होने पर ही छात्र विद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रख सकता है। माध्यमिक परीक्षोपरांत उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अनुशासित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है।

8. **<u>शैक्षणिक सत्र एवं अवकाश</u> :-** शैक्षणिक सत्र अप्रैल से मार्च का है। शीतावकाश (दिसम्बर-जनवरी) में लगभग 35 दिनों का तथा वर्षावकाश (जून - अगस्त) में लगभग 55 दिनों का होता है, जिसमें छात्र घर जाते हैं।

9. **<u>चिकित्सा</u> :-** विद्यालय चिकित्सालय में सामान्य रोगों का इलाज किया जाता है। आपात स्थिति में विद्यालय स्तर पर चिकित्सा हेतु भेजने की व्यवस्था की जाएगी। विशेष स्थिति में चिकित्सा हेतु अभिभावक के दायित्व पर अन्यत्र या घर जाने की अनुमति दी जाएगी। चिकित्सोपरांत विद्यालय लौटने पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन (आवश्यक दवाओं सहित) तथा फिटनेस प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

10. परिवार में अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन (सम्बंधित निमंत्रण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा) अथवा अत्यंत अपरिहार्य कारण से यात्रा के समय के अलावा अधिकतम तीन दिनों का अवकाश देय है। अवकाश का आवेदन आश्रमाध्यक्ष के माध्यम से अभिभावक प्राचार्य को भेजेंगे। छात्र के आवागमन की व्यवस्था अभिभावक को करनी होगी। विद्यालय से छात्र को अकेले घर जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। अवकाश की अवधि के अंदर ही छात्र को विद्यालय पहुंचना होगा। विलम्ब करने पर 100/-रुपये प्रतिदिन आर्थिक दंड लिए जाने का प्रावधान है। ध्यातव्य है कि विद्यालय की आवासीय प्रकृति के कारण विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति 95 प्रतिशत अनिवार्य है। विद्यालय से लगातार एक माह तक बिना किसी उचित कारण एवं सूचना के अनुपस्थित रहने पर छात्र को विद्यालय में आगे अध्ययन की अनुमति नहीं होगी एवं छात्र का नामांकन स्वतः रद्द माना जाएगा; जिसकी जवाबदेही सम्बंधित अभिभावक की होगी।

27/5/24

प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट